संख्या-1582/2026/2506/22-2-2025-17(119)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-47880/प्रो0अनु0(2)-309/2025 (बैठक दिनांक 19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, मोहददीपुर हालपता-काशीपुर, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। **प्रथम घटना**- बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश एवं पेड़ काटने की रंजिश के कारण दिनांक 02.01.1985 को अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, रायफल, तमन्चों से मारकर व घरों में आग लगाकर 21 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। **द्वितीय घटना**- बन्दी द्वारा दिनांक 02.01.1985 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर लल्ला नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। **तृतीय घटना**- बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.1998 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तिलकराम नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को प्रथम सत्र परीक्षण संख्या-79/85 में धारा-148, 452, 436/149, 440/149, 307/149, 302 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, सीतापुर के आदेश दिनांक-25.08.2001 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। द्वितीय एस०टी०नं०-80/85 में धारा-302 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, 04 सीतापुर के आदेश दिनांक-25.07.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक 29.04.2019 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। तृतीय एस०टी०नं०-640/98 में धारा-302 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-03, सीतापुर के आदेश दिनांक-07.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा **प्रथम केस** में दिनांक 19.12.2025 तक अपरिहार 27 वर्ष 03 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 33 वर्ष, 11 माह, 16 दिन तथा **द्वितीय केस** में अपरिहार 27 वर्ष, 01 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 27 वर्ष, 01 माह, 21 दिन एवं **तृतीय केस** में दिनांक 07.08.2025 तक अपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह, 07 दिन की सजा भोगी जा चुकी है। बन्दी की आयु दिनांक 19.12.2025 तक 49 वर्ष, 10 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिमत दिनांक 01.08.2025 में अंकित किया गया है, कि बन्दी यदि विधिक एवं नियमानुसार अर्हता रखता है तो, न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि माः उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नॉमिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बहादुर (बन्दी सं0-52040) पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1582/2026/2506(1)/22-2-2026 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in